

**कार्यालय अधिष्ठाता,
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)**

कमांक/पी.जी./छात्र/एम.सी./2026/5122

रीवा, दिनांक 28/02/26

आदेश

नीट पी.जी. 2025 के माध्यम से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल द्वारा आयोजित ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेन्सी चरण तथा स्टेट कोटा सी.एल.सी. चरण काउंसिलिंग के द्वारा एम.डी/एम.एस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को उनके नाम के सामने दर्शित विभाग में तीन वर्षीय पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति अस्थाई तौर पर प्रदाय की जाती है। छात्र तत्काल विभाग में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।


Sr. No	Quota	Roll No.	Candidate Name	Rank	Eligible Category	Alloted Category	Course & Subject	Admission Date
1.	All India Quota	25661125597	SONAL MATHUR	121205	General	Open	M.D. (MICROBIOLOGY)	25-02-2026
2.	All India Quota	25661221341	NIKITA RAO	13192	General	Open	M.D. /MS (Obstetrics and Gynaecology)	25-02-2026
3.	All India Quota	25661062818	CHARUL GAUR	129635	General	Open	M.D. (BIOCHEMISTRY)	27-02-2026
4.	All India Quota	25661093370	PAWAN KUMAR	36858	Schedule Caste (SC)	Schedule Caste (SC)	M.D. (PAEDIATRICS)	27-02-2026
5.	All India Quota	25661234360	VAIBHAV KUMAR	10059	General-EWS	General-EWS	M.D. (GENERAL MEDICINE)	28-02-2026
6.	State Quota	25661062450	RAKHI PANDEY	2429	UR_X_F	Open (INST)	M.D. (Pathology)	28-02-2026

अध्ययन की शर्तें

- पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छात्र/छात्राओं की प्राइवेट प्रेक्टिस/अंशकालीन नौकरी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
- छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता एन.एम.सी. नई दिल्ली / म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नवीनतम मापदण्ड अनुसार रहेगी।
- जिन छात्र/छात्राओं का म.प्र. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे प्रवेश लेने के 1 माह के भीतर म.प्र. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर उसकी पावती छात्र शाखा में जमा करेंगे एवं रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति प्राप्त होते ही, तत्काल छात्र शाखा में जमा करेंगे।
- सेवारत अभ्यर्थी प्रथमतः अपनी उपस्थिति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे इसके पश्चात् आदेश प्रसारित होने के बाद ही संबंधित विभाग में उपस्थिति प्रदाय करेंगे।
- ज्वाइनिंग के पश्चात् आप अपना कॉलेज आई.डी. एक माह में बनवाना सुनिश्चित करेंगे।
- केंद्रीय पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय की सदस्यता लेना अनिवार्य होगी।
- ट्यूशन फीस एवं अन्य महाविद्यालयीन शुल्क प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में 1 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह देय होगा।


हिरदेश सिंह शैस
ए.एस.टी. लिपिक, छात्र शाखा (सी०बी०)


नोडल अधिकारी
प्रवेश समिति
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)


DEAN
SSMC, REWA (M.P.)

8. छात्रावास की सुविधा लेने की स्थिति में छात्रावास शुल्क प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में 1 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह देय होगा।
9. स्टाफफण्ड का भुगतान ज्वाइनिंग तिथि से 36 माह का होगा। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने अथवा टेन्चोर बढ़ने की स्थिति में स्टाफफण्ड का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. छात्र/छात्राएँ हर समय अपनी सही जानकारी प्रस्तुत करेंगे। किसी भी समय गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. बिना सूचना के लगातार 15 दिवस या अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें स्टाफफण्ड की कटौती से लेकर प्रवेश निरस्त की कार्यवाही शामिल होगी।
12. पी.जी. प्रवेश नियम 2017 राजपत्र में प्रकाशित नियम 11 के अनुसार पी.जी. छात्र/छात्राओं पर अवकाश लागू होगा :-

- 12 (a) One weekly off (non-cumulative).
- 12 (b) Casual leave for 19 days per academic year.
- 12 (c) Entitlement of Maternity leave with stipend during the entire tenure shall be for 180 days with prior permission of the Dean / Principal of the college. Medical certificate must be produced within ten days of proceeding on leave as per M.P. Govt. Department of Medical Education Ministry order no. F5/123/2013/01/55 Bhopal dated 03.06.2013 and G.A.D. order no. F1-7/1/2010/R/4 Bhopal dated 07.06.2010.
- 12 (d) As per Madhya Pradesh Government Order No. 147 / 4572 /03/55 /M.E.-1. Dated 14-01-04, 15 days Medical leave shall be admissible without stipend with prior permission. Medical certificate of illness has to be submitted within 10 days after proceeding on leave. Medical leave can be availed every year; however, it would be non-cumulative. Application for leave shall be submitted to the Dean / Principal through the Head of the Department of subject concerned.


अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/पी.जी./छात्र/एम.सी./2026/5122-5129 रीवा, दिनांक 28/02/2026

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र. ।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. विभागाध्यक्ष- जनरल मेडिसिन / पीडियाट्रीक्स / आब्स एंड गायनी / पैथॉलोजी / माइक्रोबायोलोजी / बायोकेमिस्ट्री विभाग चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. छात्रपाल, पी.जी. छात्रावास बालक/कन्या की ओर भेजकर लेख है कि, संबंधित छात्र/छात्राओं को छात्रावास शुल्क जमा होने की रसीद प्रदाय करने के बाद ही छात्रावास में रहने की अनुमति प्रदाय करें।
5. प्रभारी अधिकारी, केंद्रीय पुस्तकालय, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
6. कार्यालय लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित छात्र/छात्रा की ओर वास्ते पालनार्थ।


हिरदेश सिंह बैस


नोडल अधिकारी
प्रवेश संपत्ति


अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

रिवाजी शिक्षक, छात्र सञ्चाल (पी.जी.)
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)